कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 03.07.2026

थाना कल्यानपुर पुलिस द्वारा नशीला पदार्थ देकर चोरी करने वाले वांछित/हिस्ट्रीशीटर अंतर्जनपदीय शातिर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुआ घायल को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बोलेरो गाड़ी, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 2 मिस कारतूस 315 बोर, एक जिन्दा कारतूस, 02 एंड्रॉयड मोबाइल व 2000 रुपये नगद बरामद ।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी बिंदकी के कुशल नेतृत्व में थाना कल्यानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 26.05.2026 को वादी श्री उमाशंकर पांडेय पुत्र स्व0 ज्वाला प्रसाद पांडेय निवासी शिवमई चौराई थाना बिधनू जनपद कानपुर दिहात द्वारा थाना कल्यानपुर पर तहरीरी सूचना दी गई कि वह अपने भांजे के साथ दिनांक 26.05.2026 को कानपुर से बिन्दकी आने हेतु बोलेरो पिकअप वाहन संख्या UP63N5600 में सवार हुआ था। रास्ते में चालक द्वारा चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर दोनों को पिला दिया गया, जिससे वे अचेत हो गए। होश आने पर ज्ञात हुआ कि चालक एवं उसके साथियों द्वारा दोनों के मोबाइल फोन, बैग/पर्स एवं ₹40,000 नकद चोरी कर लिए गए तथा उन्हें रास्ते में छोड़कर फरार हो गए । उक्त सूचना के आधार पर थाना कल्यानपुर पर मु0अ0सं0 131/2026 धारा 123/303(2) बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

व दिनांक 05.06.2026 को वादी श्री राजकुमार पुत्र रामकरन धोरीकार निवासी नारंग रोड पुरानी बस्ती थाना कोतवाली जनपद बस्ती द्वारा थाना कल्यानपुर पर तहररीर सूचना दी गई कि दिनांक 03.07.2026 को रात्रि लगभग 00:45 बजे झकरकटी में बांदा जाने हेतु वाहन की प्रतीक्षा करते समय बोलेरो वाहन संख्या UP63N5600 में सवार अज्ञात व्यक्तियों ने विश्वास में लेकर साथ बैठाया, रामादेवी चौराहे पर चाय व बिस्कुट खिलाया, जिसमें नशीला पदार्थ मिला था। इसके सेवन से प्रार्थी बेहोश हो गया। बेहोशी की अवस्था में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी का मोबाइल फोन एवं ₹25,000/- नकद चोरी कर उसे थाना कल्यानपुर क्षेत्र के रेहाड़ी स्थित एक सुनसान स्थान पर छोड़कर फरार हो गए। इस संबंध में थाना कल्यानपुर पर मु0अ0सं0 136/2026 धारा 123/303(2) पंजीकृत किया गया था।

मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 03.07.2026 को थाना कल्यानपुर पुलिस टीम द्वारा चौडगरा पुल के पास संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, चेकिंग के दौरान रेडियो सेट के माध्यम से सूचना प्राप्त

हुई कि बोलेरो वाहन संख्या UP63N5600 अत्यधिक तेज गति से बिन्दकी रोड की ओर भागा है, जिसका चौडगरा पुल के नीचे मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा पीछा किया जा रहा है। उक्त सूचना पर थानाध्यक्षक थाना कल्यानपुर मय पुलिस टीम के दादनखेड़ा मोड़ के आगे वाहन की लाइट जलाकर चेकिंग हेतु खड़े थे । तभी एक चार पहिया वाहन अत्यधिक तेज गति से दादनखेड़ा मोड़ की ओर आता दिखाई दिया, जिसने पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से वाहन का पीछा किया गया। कार सवार व्यक्तियों द्वारा आगे कच्चे रास्ते पर आम के पेड़ के पास वाहन मोड़ने का प्रयास किया गया, किन्तु रास्ता संकरा एवं वर्षा के कारण फिसलन होने से वाहन अनियंत्रित होकर रुक गया। तत्पश्चात वाहन सवार अभियुक्तों द्वारा स्वयं को घिरता देख अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त शाहनवाज उर्फ साहिल पुत्र मंसूर निवासी ग्राम विसहिया थाना हथिगवा जिला प्रतापगढ़, के बायें पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त को तत्काल हिरासत में लेकर उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। तथा एक अन्य अभियुक्त फिरोज निवासी ग्राम करारी थाना करारी जिला कौशांबी मौके से फरार हो गया। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। घटना स्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम व क्षेत्राधिकारी बिंदकी द्वारा किया गया तथा उपरोक्त घटना के संबंध में मु0अ0सं0- 153/26 धारा-109 बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0 थाना कल्यानपुर में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण :

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर मई माह के अंतिम सप्ताह एवं जून माह के प्रारंभ में जहरखुरानी की दो घटनाओं को अंजाम दिया था। बरामद एक मोबाइल फोन एवं ₹2000/- नकद उक्त घटनाओं से संबंधित हैं। तथा दूसरा मोबाइल फोन मेरा स्वयं का है।

अभियुक्त द्वारा अपराध करने की कार्यप्रणाली (Modus Operandi) यह थी कि वह कानपुर बस स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन के आसपास यात्रियों को कैब उपलब्ध कराने के बहाने अपनी बोलेरो वाहन में बैठाता था। इसके उपरांत यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर/पिलाकर अचेत अथवा अर्धचेतन अवस्था में पहुंचा देता था तथा उनके मोबाइल फोन, नकदी एवं अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो जाता था।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. शाहनवाज उर्फ साहिल पुत्र मंसूर निवासी ग्राम विसहिया थाना हथिगवा जनपद प्रतापगढ़ । (**उक्त अभियुक्त थाना थाना हथिगवा जनपद प्रतापगढ़ का हिस्ट्रीशीटर है।**)

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त एक बोलेरो गाड़ी
2. एक अवैध तमंचा 315 बोर
3. 02 खोखा कारतूस 315 बोर
4. 2 मिस कारतूस 315 बोर
5. एक जिन्दा कारतूस
6. दो एंड्रॉयड मोबाइल
7. 2000 रुपये

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 0340/2020, धारा 379, 411 IPC, थाना कैण्ट, जनपद प्रयागराज

2.मु0अ0सं0 0220/2023, धारा 379, 411 IPC, थाना नगर (कमिश्नरेट प्रयागराज), जनपद प्रयागराज

3.मु0अ0सं0 0782/2020, धारा 379, 411 IPC, थाना कर्नलगंज, जनपद प्रयागराज
4.मु0अ0सं0 0609/2021, धारा 379, 411 IPC, थाना कर्नलगंज, जनपद प्रयागराज
5.मु0अ0सं0 0218/2017, धारा 41, 411, 413, 414 IPC, थाना दारागंज, जनपद प्रयागराज
6.मु0अ0सं0 0993/2020, धारा 379, 411,413,414,420,467,468, 471 IPC, थाना धूमनगंज, प्रयागराज
7.मु0अ0सं0 0129/2017, धारा 394 IPC, थाना जार्ज टाउन, जनपद प्रयागराज
8.मु0अ0सं0 0180/2017, धारा 392 IPC, थाना जार्ज टाउन, जनपद प्रयागराज
9.मु0अ0सं0 0482/2020, धारा 379 IPC, थाना जार्ज टाउन, जनपद प्रयागराज
10.मु0अ0सं0 0324/2022, धारा 379, 413, 414 IPC, थाना जार्ज टाउन, जनपद प्रयागराज
11.मु0अ0सं0 0381/2022, धारा 379, 411, 413, 414 IPC, थाना जार्ज टाउन, जनपद प्रयागराज
12.मु0अ0सं0 0385/2022,धारा 411,413,414,419,420,467,468,471 IPC, थाना जार्ज टाउन, प्रयागराज
13.मु0अ0सं0 0062/2017, धारा 380, 411 IPC, थाना करेली, जनपद प्रयागराज
14.मु0अ0सं0 0046/2021, धारा 307 IPC, थाना करेली, जनपद प्रयागराज
15.मु0अ0सं0 0047/2021, धारा 25, 3 आयुध अधिनियम 1959, थाना करेली, जनपद प्रयागराज
16.मु0अ0सं0 0666/2021, धारा 379, 411 IPC, थाना खुल्दाबाद, जनपद प्रयागराज
17.मु0अ0सं0 0670/2021, धारा 25, 3 आयुध अधिनियम 1959, थाना खुल्दाबाद, जनपद प्रयागराज
18.मु0अ0सं0 0675/2021, धारा 21, 22 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, थाना खुल्दाबाद, जनपद प्रयागराज
19.मु0अ0सं0 0677/2021, धारा 420, 467, 468, 471 IPC, थाना खुल्दाबाद, जनपद प्रयागराज
20.मु0अ0सं0 0678/2021, धारा 411, 413, 414 IPC, थाना खुल्दाबाद, जनपद प्रयागराज
21.मु0अ0सं0 0047/2021, धारा 379, 411 IPC, थाना कीडगंज, जनपद प्रयागराज
22.मु0अ0सं0 0275/2021, धारा 379, 411, 413, 414 IPC, थाना मुट्ठीगंज, जनपद प्रयागराज
23.मु0अ0सं0 0705/2018, धारा 41, 411 IPC, थाना सोरांव, जनपद प्रयागराज
24.मु0अ0सं0 0283/2020, धारा 379, 411, 420, 467, 468, 471 IPC, थाना शिवकुटी, जनपद प्रयागराज
25.मु0अ0सं0 0298/2022, धारा 379 IPC, थाना फाफामऊ, जनपद प्रयागराज
26.मु0अ0सं0 131/2026 धारा 123/303(2)/317(2) BNS थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर
27.मु0अ0सं0 136/2026 धारा 123/303(2)/317(2) BNS थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर
28.मु0अ0सं0 153/2026 धारा 109(1) BNS व 3/25 आयुध अधिनियम (पुलिस मुठभेड़) थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.थानाध्यक्ष सुमित देव पाण्डेय थाना कल्यानपुर
2.उ0नि0 संजय सिह परिहार, 3.उ0नि0 शिवनारायन सिह , 4.उ0नि0 विवेक कुमार ,5.उ0नि0 अनुज कुमार मिश्रा
6.का0 कुलदीप सिंह, 7.का0 अभिषेक तिवारी, 8.रि0 का0 अंकित यादव, 9.रि0 का0 प्रेम सागर, 10.रि0 का0 अतुल यादव
11.रि0 का0 अंकित पटेल , 12.का0 नीरज कुमार, 13.का0 दुर्गेश सिह, 14 रि0 का0 इंजमाम अंसारी,15 का0 नीलेश कुर्मी